हथियार लेकर टावर पर चढ़ा युवक:6 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने नीचे उतारा

फतेहपुर (सीकर), वेब वार्ता। फतेहपुर के चूरू रोड पर लोहारों के मोहल्ले में एक युवक धारदार हथियार लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का नंदलाल प्रजापत है जो रात करीब 3 बजे टावर पर चढ़ा था।

6 घंटे बाद टावर से उतरा युवक: मोहल्लेवासियों द्वारा सूचना दिए जाने पर कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी मीणा ने नंदलाल को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वह 6 घंटे बाद सुबह 9 बजे टावर से नीचे उतरा। पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कोतवाली थाने ले गई।

चौथी बार टावर पर चढ़ा युवक: स्थानीय लोगों ने बताया- नंदलाल प्रजापत चौथी बार टावर पर चढ़ा है। लगभग डेढ़ साल पहले वह जयपुर में भी एक टावर पर चढ़ा था। नंदलाल इस वाले टावर पर तीसरी बार चढ़ा है। लोगों ने बताया कि नंदलाल पर पॉक्सो एक्ट का एक मामला दर्ज हुआ था, उसी को लेकर वो गुस्से में बार-बार टावर पर चढ़ जाता है।

पॉक्सो एक्ट का मामला हुआ था दर्ज: नंदलाल और उसके एक साथी पर लगभग 4 साल पहले पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें युवक नंदलाल जेल भी जाकर आया था। हालांकि, पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने नंदलाल को बरी भी कर दिया है। लेकिन नंदलाल का कहना है कि पुलिस द्वारा उसे झूठे पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसाया गया था। इसी बात को लेकर नंदलाल काफी नाराज है और बार-बार मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है।

टावर पर चढ़कर लहराता रहा हथियार: नंदलाल के मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर फैलते ही मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग टावर के नीचे जमा हो गए। वे नंदलाल को नीचे उतरने के लिए कहते रहे। टावर पर खड़े होकर नंदलाल घंटों तक अपने हाथ में धारदार हथियार लहराता रहा और धमकी देता रहा कि अगर इस बार न्याय नहीं मिला तो उससे कोई अपराध हो जाएगा।

हालांकि, पुलिस और बाकी लोगों की तरफ से घंटों तक समझाने के बाद नंदलाल नीचे उतरा जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गई।

चित्तौड़गढ़ से चलने वाली तीन ट्रेनों के बढ़ाए कोच

फरवरी से बदलेगी व्यवस्था; जानिए-किन ट्रेनों के कितने कोच बढ़ें

चित्तौड़गढ़, 28 जनवरी (का.सं.)। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एक फैसला लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली तीन जोड़ी रेल सेवाओं में कुल 7 डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

यह व्यवस्था फरवरी महीने में लागू रहेगी, ताकि त्योहारों, शादियों और सामान्य यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को आसानी से संभाला जा सके। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और सफर ज्यादा आरामदायक हो सकेगा।

दिल्ली-उदयपुर रेलसेवा में स्लीपर कोच डिब्बों की बढ़ोतरी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 20473/20474, दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय रेलसेवा में दो द्वितीय स्लीपर कोच के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है।

यह बढ़ोतरी दिल्ली सराय से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक तथा उदयपुर सिटी से 2 फरवरी से 1 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस रेलसेवा से चित्तौड़गढ़ होकर बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली और उदयपुर की यात्रा करते हैं, ऐसे में स्कोर कुछ की डिब्बों की संख्या बढ़ने से मध्यम वर्ग के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मदार-कोलकाता एक्सप्रेस में सेकंड एसी डिब्बा शामिल

रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 19608/19607, मदार-कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में भी अस्थाई रूप से एक सेकंड एसी डिब्बा जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था मदार से 2 फरवरी से 23 फरवरी तक और कोलकाता से 5 फरवरी से 26 फरवरी तक लागू रहेगी इस ट्रेन से पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ से कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह फैसला खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा।

जोधपुर-इंदौर रेलसेवा में साधारण और स्लीपर कोच के डिब्बों की सुविधा

इसके अलावा गाड़ी संख्या 14801/14802, जोधपुर-इंदौर-जोधपुर रेलसेवा में भी अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। इस ट्रेन में एक द्वितीय स्लीपर कोच और तीन साधारण श्रेणी के डिब्बे जोड़े जा रहे हैं।

जोधपुर से यह सुविधा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक और इंदौर से 4 फरवरी से 3 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। साधारण डिब्बों की संख्या बढ़ने से दैनिक यात्रियों, मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों से सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरदारशहर में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में लगी आग:5 दमकल की गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू; लाखों रूपयों का हुआ नुकसान

सरदारशहर, वेब वार्ता। सरदारशहर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार देर रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूरज हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के सीजनिंग प्लांट में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए चूरू, तारानगर और रतनगढ़ से भी दमकलें बुलानी पड़ीं। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह 5 बजे आग पर नियंत्रण पाया जा सका।

दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग: जानकारी के अनुसार, रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुंदर हैंडीक्राफ्ट के सीजनिंग प्लांट से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, जो देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फैक्ट्री मालिक और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। शुरुआत में सरदारशहर की दो दमकलों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए चूरू, रतनगढ़ और तारानगर से भी दमकलें बुलानी पड़ीं।

आग बुझाने में 6 घंटे लगे: आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। सूचना मिलने पर सरदारशहर पुलिस थाने के एसआई रामकरण सिद्ध पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यह फैक्ट्री बाबूलाल सैनी की बताई जा रही है। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

देर रात लगी इस आग को बुझाने में आसपास के फैक्ट्री मालिकों और बड़ी संख्या में मजदूरों ने भी सहयोग किया। दमकल कर्मचारी राजेश सैनी ने बताया कि आग इतनी विकराल थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा कि यदि लगातार पानी नहीं डाला जाता तो आग आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले सकती थी।

उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

हाईवे पर जाम लगाने वाले 5 ट्रेलर जब्त, मकरेड़ी नदी में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 2 जेसीबी और 9 ट्रैक्टर पकड़े

उदयपुर, 28 जनवरी (का.सं.)। उदयपुर पुलिस ने बुधवार को अपराधियों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दो बड़ी कार्रवाइयां की। एक तरफ जहां नेशनल हाईवे पर बेतरतीब वाहन खड़े कर आम जनता का रास्ता रोकने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर कानूनी शिकंजा कसा गया, वहीं दूसरी तरफ कुराबड इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने वाले खनन माफिया के हौसले पस्त किए गए।

जिला पुलिस की इन कार्रवाइयों से जिले के माफिया तत्वों और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 5 ट्रेलर, 2 जेसीबी और 9 ट्रैक्टर जब्त किए है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई।

हाईवे पर मनमानी पड़ी भारी, 5 ट्रेलर जब्त

गोगुंदा थाना पुलिस ने उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे-27 पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बुधवार को गोगुंदा टोल प्लाजा के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब 5 ट्रेलर चालकों ने अपने भारी वाहनों को सड़क के बीचों-बीच बेतरतीब ढंग से खड़ा कर दिया। इस लापरवाही के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि इन वाहनों के कारण न केवल आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, बल्कि तेज रफ्तार हाईवे पर किसी बड़े सड़क हादसे की पूरी आशंका बनी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया और पांचों ट्रेलरों को जब्त कर लिया।

उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी से जन-जीवन प्रभावित

देहरादून, वेब वार्ता। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार से जारी बारिश और बर्फबारी से कई क्षेत्रों में जन-जीवन पर प्रभाव पड़ा है। इस समय पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं और सड़क, बिजली, पेजयल समेत अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आज प्रदेश के कक्षा 1 से 12 तक सभी सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

रुद्रप्रयाग जिले के ऊँचाई वाले क्षेत्रों चोपता तुंगनाथ, चिरबटिया मयाली, धिमतोली खडपतिया व अन्य क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं। घनसाली से जखोली तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ ही पेयजल लाइन भी प्रभावित हुई हैं। बर्फबारी से कुण्ड चोपता मोटर मार्ग अवरूद्ध है। जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है।

उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से बंद है। यहां अत्यधिक बारिश के साथ हर्षिल, धराली, भैरवघाटी, गंगोत्री शीतकालीन वास मुखवा समेत अन्य क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी से राना चट्टी से जानकी चट्टी और राड़ी टॉप तक बंद है।

बंद मार्गों को खोलने की कवायद में लगा प्रशासन : बागेश्वर जिले में मंगलवार देर शाम से निचले इलाकों में बारिश और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। संभावित बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए बंद सड़कों को खोलने के लिए लोडर मशीनों की व्यवस्था की है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और हिमपात को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

कोलकाता में भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 16

कोलकाता , वेब वार्ता। कोलकाता। कोलकाता के आनंदपुर के नाजीराबाद में एक प्रसिद्ध मोमो चेन के कारखाने और डेकोरेटर के गोदाम में लगी भीषण आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है तथा 10 लोग अब भी लापता हैं।

स्वजन ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोमवार तड़के लगी इस आग में कल आठ लोगों के शव बरामद हुए थे। मंगलवार को आठ और शव बरामद हुए। राज्य सरकार ने मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

दो गोदामों में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लपटें इतनी भयावह थीं कि अंदर फंसे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। समाचार लिखे जाने तक मंगलवार को भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।

स्थानीय लोगों और प्रशासन को अंदेशा है कि मलबे के नीचे दबे होने के कारण मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। मंगलवार सुबह जब फोरेंसिक टीम और अधिकारी अंदर पहुंचे तो मंजर खौफनाक था। बरामद किए गए शव इस कदर झुलस चुके थे कि उनकी पहचान करना असंभव है। प्रशासन ने डीएनए और फोरेंसिक जांच के लिए अवशेषों को लैब भेजा है।

दमकल मंत्री के देरी से पहुंचने पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा : हादसे के करीब डेढ़ दिन बाद मंगलवार को दमकल मंत्री सुजीत बोस और विभाग के महानिदेशक (डीजी) रणबीर कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल मंत्री के देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा।

मोयना से भाजपा विधायक अशोक डिंडडा की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए, जिससे वहां तृणमूल और भाजपा समर्थकों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। सुजीत बोस ने स्वीकार किया कि अग्निशमन के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे।

नहीं था कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र : दमकल विभाग के डीजी रणबीर कुमार ने बताया कि फैक्ट्री और गोदाम के पास कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। 35 हजार वर्ग फुट में फैला यह परिसर पूरी तरह अवैध रूप से सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। इसकी जांच की जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना-अपात्र लोगों को मिला लाभ

डूंगरपुर में 550 में से 533 फर्जी लाभार्थी निकले, सांसद की शिकायत पर जांच

उदयपुर, 28 जनवरी (का.सं.)। उदयपुर और डूंगरपुर के जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की सतर्कता के कारण एक ऐसा मामला सामने आया है,जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है।

डूंगरपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों में उन लोगों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा था, जो इसके पात्र ही नहीं थे। जब सांसद को इसकी भनक लगी और जांच हुई तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले निकले। उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने डूंगरपुर जिले की दिशा बैठक में इस मामले को उठाया था और बीएपी नेताओं का इसमें हाथ होने का खुला आरोप लगाया था।

सीएम को पंचायतों में गड़बड़ी के बारे में बताया

उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की बारों का शेर, बोलाडरा, बटका फला और गुमानपुरा जैसी पंचायतों में भारी गड़बड़ी हो रही है।सांसद ने बकायदा एक सूची भी सौंपी और बताया कि जिन्हें लाभ मिल रहा है, वे डूंगरपुर के मूल निवासी ही नहीं हैं, बल्कि बाहरी लोग हैं। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डूंगरपुर कलेक्टर को तुरंत जांच के आदेश दिए।

जांच में केवल 17 व्यक्ति ही पात्र मिले

कलेक्टर ने जब छानबीन करवाई, तो सांसद की आशंका सही साबित हुई। जांच के लिए कुल 550 लोगों की लिस्ट तैयार की गई और संबंधित तहसीलदारों को हर एक नाम की हकीकत जानने का जिम्मा सौंपा गया।

जांच के बाद जो रिपोर्ट आई, उसने सबको हैरान कर दिया। जिन 550 लोगों की जांच हुई थी, उनमें से केवल 17 व्यक्ति ही पात्र पाए गए, जबकि 533 लोग पूरी तरह अपात्र निकले। अधिकतर मामलों में अपात्रता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये लोग उस क्षेत्र के मूल निवासी ही नहीं थे और न ही इनसे कोई संपर्क हो पा रहा था। ग्राम पालगामडी, बारो का शेर, बोलाडरा, मानतफला, बटका फलां, मेताली, गुमानपुरा और सेरावाडा में पटवारी और तहसीलदार की जांच में लगभग सभी लोग फर्जी लाभार्थी निकले।

नि:शुल्क दिव्यांग अंग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन होगा

सिरोही, 28 जनवरी (का.सं.)। सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के सौजन्य एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं जैन रिलीफ सोसायटी, सिरोही के संयुक्त तत्वावधान में विशाल नि:शुल्क दिव्यांग अंग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अजित विहार छात्रावास, तीन बत्ती चौराह शांतिनगर सिरोही में किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि इस शिविर में कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, तिपहिया साइकिल, बैशाखी, वॉकर, व्हील चेयर, कैलिपर, वृद्धजन छडी, श्रवण संत्र इत्यादि का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। इच्छुक दिव्यांगजन आधारकार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड की छायाप्रति लेकर शिविर में भाग लेकर अपनी आवश्यकता के अनुरूप अंग उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।

भरत छिपा बने कामगार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष

सिरोही। कामगार सेवा संस्थान की बैठक बुधवार को हजारीमल छिपा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में भरत डी छिपा को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में कामगार समाज की 12 जातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों की सहमति से भरत डी छिपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया।

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर

क्रमांक: एफ.6( )/भण्डार/आमवि / जो / 2025-2026 / 8792 दिनांक 19.01.2026

निविदा आमंत्रण सूचना ई - निविदा सं. 34 / 2025-26)

डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर द्वारा **Supply of Books for GCON Sirohi and Jalore** के लिए इच्छुक निविदादाताओं से निविदाएं दिनांक 28.01.2026 को 05.00 पीएम बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा का अन्य विवरण खरीद पोर्टल **http://eproc.rajasthan.gov.in** व राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** पद एवं विभागीय वेबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in/ dsmcjodhpur#** पर देखे जा सकते हैं।

UBN No.	
SMC2526GLOB00308	
SMC2526GLOB00309	
DIPR/C/1396/2026	प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- श्री टावर्स, प्लाट संख्या 14 A , साउथ फेज, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुंडी, चेन्नई-600032 तमिलनाडु

शाखा कार्यालय :- 12सी मीरा नगर, बंधन बैंक के ऊपर, बालाजी मंदिर के निकट, चित्तौड़गढ़ - 312001

प्रतीकात्मक कब्ज़ा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत अधिकारी है । और धारा 13(2) सपठित सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, ताकि उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाई जा सके । उधारकर्ताओं द्वारा ऋण राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनवरी 2026 के इस 23 वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्ज़ा ले लिया है ,जो की उक्त अधिनियम एवं उक्त नियमोंकेनियम 8 के साथ पढ़ा जाये ।

ऋणी का नाम और पता	मांग पत्र के अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
1. मैसर्स मातेश्वरी गिनिंग इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराइटर श्री नंद लाल पुत्र श्री मोती लाल जी बालाई निवासी - रामदेव कॉलोनी, चाँदपोल गंगरार,जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान पिन कोड - 312901 2. श्री नंद लाल पुत्र श्री मोती लाल बालाई निवासी - रामदेव कॉलोनी, चाँदपोल गंगरार,जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान पिन कोड - 312901 3. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री नंद लाल बालाई निवासी - रामदेव कॉलोनी, चाँदपोल,गंगरार, जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान पिन कोड - 312901	ऋण खाता संख्या:- CDCHTTF1905270001 डिमांड नोटिस दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ रु.43,24,113/-(तैंतालीस लाख चौबीस हजार एक सौ तेरह मात्र) का भुगतान करने के लिए	संपूर्ण प्लॉट/मकान निर्मित क्षेत्रफल (ग्राउंड फ्लोर) 1350.00 वर्गफीट जो पट्टा संख्या 09, खसरा संख्या 1021/4375,राजस्व ग्राम - गंगरार, ग्राम पंचायत/पटवार क्षेत्र - गंगरार,पंचायत समिति - गंगरार,जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान - 312901 उप-पंजीयक कार्यालय - गंगरार के अधिकार क्षेत्र में स्थित। संपत्ति की सीमाएँ:-पूर्व: सार्वजनिक सड़क पश्चिम: नाला दक्षिण: श्याम दास जी उत्तर: भेरू दास जी

यह नोटिस सामान्य रूप से आम जनता को सावधान करने के लिए भी है कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के पास ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति का वैध प्रतीकात्मक कब्ज़ा है और उधारकर्ता या कोई भी व्यक्ति श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना उल्लिखित उपरोक्तकिसी भी संपत्ति को पट्टेपर देना/विक्रय करना या अन्यथा निपटान अथवा अलग करना इस नोटिस की प्राप्ति के बाद बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।

दिनांक:-23.01.2026, स्थान:-चित्तौड़गढ़ ह/-

प्राधिकृत अधिकारी (श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड)

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन: +91-79-26421671-75

ऋणीओं के लिए मांग सूचना

नीचे बताया गया खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित किया गया है और बंधन बैंक द्वारा सिक्युरिटाइझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ओफ फायनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (थी एक्ट), 2002 की धारा 13(2) तहत नीचे बताए गए कर्जदारों को डिमान्ड नोटिस जारी की गई थी, जो वापिस आई है। इस लिए आप सभी को और सार्वजनिक जनता को इस प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी की जा रही है।

ऋणीयों के नाम और ऋण खाता नं.	बंधक संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि/ NPA की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	सूचना चस्पा करने की तिथि
शंकर लाल माली श्रीमती इंदिरा देवी श्री संदीप माली 20007070001988	सभी चल और अचल संपर्ति, जो भूमि का क्षेत्रफल 92.93 वर्ग मीटर और निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 185.86 वर्ग मीटर है अंतिम प्लॉट संख्या - खसरा संख्या - 2150/1, डीड संख्या- 2008001324, प्लॉट संख्या - 161, राजमाता धर्मशाला के पास, सिरोही, राजस्थान में स्थित है और जो आवरित है: उत्तर - प्लॉट संख्या 161, पूर्व - प्लॉट संख्या 161, पश्चिम - सड़क, दक्षिण - प्लॉट संख्या 162	अक्टूबर 25, 2025/ अक्टूबर 03, 2025	रु.10,71,414.39 (अक्टूबर 10, 2025 तक)	जनवरी 08, 2026

आप से इस सूचना के माध्यम से यह मांग की जाती है की इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपके नाम के सामने वर्णित बकाया लोन राशि ब्याज, खर्च, शुल्क सहित का भुगतान कर दें, अन्यथा सरफैसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षित संपत्ति को रीडीम करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

स्थान: सिरोही
तारीख: जनवरी 29, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालय:- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट:-www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : मेवाड़ मोटर बिल्डिंग, 48, दूसरी मंजिल, तोरण बावड़ी, स्टेशन रोड, उदयपुर, राजस्थान - 313001

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट **www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोज एनकम ब्रैस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/यूडीए/0522/992115 मामी भाटी/ललित सिंह भाटी, बी.ओ. : उदयपुर	रूपये 21,19,656.03/- (इक्कीस लाख उन्नीस हजार छह सौ छप्पन और तीन पैसे मात्र)। दिनांक 12 जुलाई 2023 तक	भौतिक कब्जा	8, मानपुरा, गोपालनगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, 323927	रु. 19,82,000	रु. 1,98,200	12/02/2026	रु. 10,000.	03-02-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	13.02.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	*शून्य/ अज्ञात

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं। 1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन य